"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] रायपुर, सोमवार, दिनांक 3 जनवरी 2011—पौष 13, शक 1932

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-42/गृह-दो/2001.—छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्र. 46 सन् 1974) की धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संचालक, सम्पदा, रायपुर को नगर निगम रायपुर की सीमाओं के भीतर, शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000 के नियम 3 (3) (क) में यथा उल्लिखित आवासीय भवनों के लिये सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 6-42/गृह-दो/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 3 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 3rd January 2011

NOTIFICATION

No. F 6-42/Home-2/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 3 (a) of Chhattisgarh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government hereby appoints Director, Estate, Raipur as Competent Authority within limits of Municipal Corporation, Raipur for Residential Houses as mentioned in Rule 3 (3) (a) of Shashkiya Avas Abantan Niyam, 2000.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. SHORI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.